(वाद संख्या–7242/18)

29.08.2019

एक साथ संलग्न BHRC/MPCO–7242/18, 7542/18, 7632/18, 7561/18, के परिवादीगण, रमेश कुमार एवं अन्य की ओर से कई परिवादीगण अपने विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज कुमार अम्बष्ठा के साथ उपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला वर्ष, 1989–90 में क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के विपरीत जाकर प्रावैधिक सहायक/प्रगति सहायक/सांख्यिकी गणक/तकनिशियन की गयी अनियमित तथा अवैध नियुक्ति एवं प्रोन्नति से संबंधित है।

पूर्व में आयोग द्वारा संचिका संख्या–BHRC/COMP-6703/17 के अन्तर्गत समान आशय के संजय कुमार सिन्हा के मामले में दिनांक–15.11.2018 को इस आशय की अनुशंसा की गई है कि करीब 25 वर्षों से भी अधिक अवधि तक सरकारी सेवा में कार्य करते रहने के क्रम में सेवाकाल में इनके वेतनादि से जो राशि कटौती की गयी थी, उसका ब्याज सहित भुगतान करते हुए, मानवीय आधार पर 'ग्यारह लाख' रुपये अतिरिक्त भुगतान की जाय।

परिवादीगण का कथन है कि आयोग के दिनांक–05.11.2018 के उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में पशुपालन विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी। विधि विभाग (महाधिवक्ता, बिहार) द्वारा छटनीग्रस्त कर्मचारियों को आयोग द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किये जाने से संबंधित पारित आदेश के संबंध में कोई परामर्श नहीं देकर राज्य सरकार को ही छटनीग्रस्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन/पुनर्नियुक्ति पर विचार करने का परामर्श दिया गया है।

पशुपालन विभाग द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन में दिनांक–05.11.2018 के आयोग के आदेश के अनुपालन के संबंध में कोई स्पष्ट प्रतिवेदन न देकर मात्र यह उल्लेखित किया गया है कि परिवादीगण की नियुक्ति अवैध है तथा उन्हें माननीय पटना उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिल

पायी है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि आयोग द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर दिनांक–05.11.2018 का आदेश पारित किया गया है।

कार्यालय, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पशुपालन निदेशालय के निदेशक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की जाय कि आयोग की संचिका संख्या– BHRC/COMP- 6703/17 (संजय कुमार सिन्हा के मामले में) में दिनांक–05.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में दिनांक–27.09.2019 के पूर्व स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करे।

आज परिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज कुमार अम्बष्ठा के उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

अगली निश्चित तिथि को परिवादीगण आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

संचिका दिनांक–27.09.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक